



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त (अपराध), पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

## प्रेस नोट

दिनांक- 01-12-2025

विषय: पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल द्वारा गठित एसओजी-2 टीम की लगातार कार्रवाई, दो स्थानों पर चल रहे अनैतिक देह व्यापार का किया पर्दाफाश।

- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन तथा डीसीपी क्राइम श्री सरवणन टी. के नेतृत्व में गठित SOG-2 द्वारा थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट बाजार के पास ए. बी. मैरिज लॉन के सामने मेलोडी स्पा एवं त्रिनेत्र भवन के पास कन्हैया लाल सर्राफ वाली बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 112 में संचालित देह व्यापार पर की गई योजनाबद्ध, सघन एवं प्रभावी कार्रवाई।
- प्रारंभिक पूछताछ के उपरांत फ्लैट स्वामी एवं स्पा संचालन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिगरा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
- कार्यवाही के दौरान-
  - मेलोडी स्पा सेन्टर से 04 महिलाएं तथा 04 पुरुष ग्राहक संलिप्त पाये गये। कुल ₹23,100/- रुपये एवं यूज्ड/अनयूज्ड कंडोम बरामद हुए।
  - फ्लैट नंबर 112 में से 05 महिलायें संलिप्त पाई गईं एवं यूज्ड/अनयूज्ड कंडोम बरामद हुए।
- उक्त मेलोडी स्पा एवं फ्लैट नं0 112 को सीज करने का दिया गया निर्देश।

आज दिनांक 01.12.2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन एवं डीसीपी क्राइम श्री सरवणन टी. के नेतृत्व में गठित एसओजी-2 टीम ने थाना सिगरा क्षेत्र स्थित स्मार्ट बाजार के पास ए. बी. मैरिज लॉन के सामने **मेलोडी स्पा** एवं त्रिनेत्र भवन के पास कन्हैया लाल सर्राफ वाली बिल्डिंग में **फ्लैट नंबर 112** में अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। योजनाबद्ध, सघन एवं प्रभावी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मेलोडी स्पा से 04 पुरुषों को गिरफ्तार किया जबकि 04 महिलाएं इस अवैध गतिविधि में संलिप्त पाई गईं एवं इसी क्रम में फ्लैट नं0 112 से 05 महिलाएं इस अवैध गतिविधि में संलिप्त पाई गईं। टीम ने छापेमारी में ₹23,100/- नगद तथा यूज्ड/अनयूज्ड कंडोम बरामद किए। प्रारंभिक पूछताछ के बाद फ्लैट नं0 112 एवं मेलोडी स्पा संचालन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा दोनों को सीज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पुलिस द्वारा मौके से सीसीटीवी फुटेज संग्रहित कर मोबाइल डेटा एनालिसिस और फॉरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है, ताकि आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।